Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-7098/74.]

NOTIFICATIONS UNDER PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS ACT, REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, DELIMITATION ACT, ETC.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपतीय तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० 305 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[*Placed in Library. See* No. LT-7099/74.]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 286 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[*Placed in Library. See* No. LT-8000/74.]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (बम्बई) संशोधन आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 349 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 265 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[*Placed in Library See* No. LT-8001/74.]

(4) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 14 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आं० 279 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 15, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 293 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(*Placed in Library see* No. LT-8002/74)

(5) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 323 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 8 दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[*Placed in Library. See* No. LT-8003/74.]

(6) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित

[श्री नीतिराज सिंह चौधरी]

बम्बई लोक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 84 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई लोक न्यास (गुजरात) (संशोधन) नियम, 1974 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 16 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या जी एच/के/ 523/ बी पी टी/रूल्स/9470/ई में प्रकाशित हुई थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[*Placed in Library. See* No. LT-8004/74.]

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अतिरिक्त मुकदमे की सूचना सम्बन्धी सांविधिक उपबन्धों के बारे में विधि आयोग के 56 वें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[*Placed in Library. See* No LT-8005/74.]

(8) भारत में लोक सभा के लिये पांचवें सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन खण्ड 2 (सांख्यिकीय) की एक प्रति ।

[*Placed in Library See* No. LT-8006/74.]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप विधि मंत्री से पूछ लें कि इस में कौन सी कठिनाई है और यह कब तक काम हो जाएगा। विधि मंत्री मौजूद हैं ।

मैं जानता हूं कि वह हिन्दी प्रेमी है, लेकिन हिन्दी प्रेम के बावजूद अंग्रेजी चल रही है, यह समझ में नहीं आता है ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक हिन्दी प्रेम का सवाल है, मैं तो आप को यहां तक कहता हू कि जब कोई फ़ारेन विजिटर बैठे हों, तो आप अंग्रेजी में बात न किया करें, बल्कि अपनी भाषा में किया करें । यहां सब प्रेमी बैठे हुए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर अध्यक्ष महोदय मुझे कहना पड़ेगा कि हे भगवान, हिन्दी को उस के प्रेमियों से बचाओ ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रेमी बैठे हुए हैं, लेकिन आप प्रेम करना नहीं जानते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम सीखने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तो बहुत कुछ किया है । आप किसी वक्त आयेंगे तो सिखा दूंगा ।

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI SHAHNAWAZ KHAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955·

(1) The Furnace Oil (Fixation of Ceiling Prices and Distribution) Amendment Order, 1974, published in Notification No. G.S.R. 242(E) in Gazette of India dated the 18th May, 1974.

(2) The Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974, published in Notification No. G.S.R. 252(E) in Gazette of India dated the 1st June, 1974.

(3) The High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil (Restriction on Use) Order, 1974, published in Notification No. G.S.R. 263(E) in Gazette of India, dated the 10th June, 1974.

[*Placed in Library. See* No. LT-8007|74].